न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी— गोपाललाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 2/19 दायर दिनांक 16.05.2019 फैसल दिनांक 30.08.2019

1. श्री रामलाल पिता लखमा मीणा निवासी कचौटिया तहसील प्रतापगढ़

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कालीबाई पुत्री श्री लखमा मीणा पत्नी श्री जीवा मीणा निवासी मोटा धामणिया तहसील पीपलखूंट
2. श्रीमती नाथी बाई पुत्री श्री लखमा मीणा पत्नी श्री कुशाल मीणा निवासी लोहारिया तहसील प्रतापगढ़
3. श्रीमती हकरीबाई पुत्री श्री लखमा मीणा पत्नी स्व. श्री केशुराम मीणा निवासी गणावा की कुण्डाल तहसील पीपलखूंट
4. श्रीमती मंगलीबाई पुत्री श्री लखमा मीणा पत्नी श्री भगवाना मीणा पत्नी श्री भगवाना मीणा निवासी बारी तहसील प्रतापगढ़
5. श्रीमती राजूबाई पुत्री श्री लखमा मीणा पत्नी श्री अम्बालाल मीणा निवासी पाडलिया तहसील प्रतापगढ़

—रेस्पोडेन्ट्सगण

अपील विरूद्व नामान्तरकरण नम्बर 504 मौजा कचौटिया निर्णय 25.05.2017

उपस्थितः—श्री विमल कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स

निर्णय दिनांक 30.08.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्सगण आपस में सगे भाई बहने है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्सगण अनुसुचित जनजाति के है। अपीलान्ट के पिता के खाते मे मौजा कचौटिया में आराजी नम्बर 168 क्षैत्रफल 0.24 हैक्टर, आराजी नम्बर 169 क्षैत्रफल 0.21 हैक्टर, आराजी नम्बर 170 क्षैत्रफल 0.35 हैक्टर, आराजी नम्बर 212 क्षैत्रफल 0.09 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 318 क्षैत्रफल 0.08 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे काश्त व

भुगत भोग में चली आ रही है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता श्री लखमा के संयुक्त आधिपत्य में चली आ रही थी व अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त व भुगत भोग में चली आ रही है।

1. यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेट्सगण अनुसुचित जनजाति के सदस्य है। अनुसुचित जनजाति में हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू नही होता है एवं अनुसुचित जनजाति में लडकियों को विरासती अधिकार नही होते है। फिर भी रेस्पोडेन्ट्सगण ने पटवारी हल्का से मिल मिलाकर अपीलान्ट के साथ विरासत का नामान्तरकरण खुलवा लिया है जो नियम व कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
2. यह कि पटवारी हल्का ने बिना जानकारी लिये ही एक दिन में नामान्तरकरण खोला व गिरदावर ने भी बिना कोई जॉच किये ही रिपोर्ट कर दी व तहसीलदार पीपलखूंट ने भी बिना जॉच किये बिना अपीलान्ट को सूचना दिये ही उसी दिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्सगण के नाम नामान्तरकरण खोलकर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो नियम व कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
3. यह कि अपीलान्ट ने दिनांक 05.03.2019 को पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो पटवारी ने कहा कि खाता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्सगण के नाम पर नामान्तरकरण नम्बर 491 व 504 से हुई है। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 06.03.2019 को तहसील में उक्त नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 15.03.19 को नकल प्राप्त हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नही थी। इससे अपीलान्ट को धारा 5 कानून मियाद का फायदा दिया जावे।

अतःअपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा कचौटिया का नामान्तरकरण नम्बर 504 खारीज किया जाकर अपीलान्ट के नाम नया नामान्तरकरण खोला जाने की आज्ञा प्रदान की जावे या इस नामान्तरकरण से रेस्पोडेन्ट्सगण का नाम हटाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील भी रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस अपीलान्ट्स दिनांक 07.08.2019 मुकर्रर की

गई। पत्रावली में दिनांक 22.08.2019 को अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.08.2019 मुकर्रर की गई।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया की विरासती नामान्तरकरण संख्या 504 के अनुसार मृतक लखमा मीणा के नाम ग्राम कचौटिया डोराना पटवार हल्का कचौटिया तहसील पीपलखूंट की आराजीयात संख्या 168, 169, 170, 212 व 318 रकबा 0.97 हैक्टर भूमियां दिगर मृतक खातेदार (लखमा) की स्वतंत्र मौरूसी भूमियां थी जिसके उत्तराधिकारिता में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 श्रीमती कालीबाई, नाथीबाई, हकरीबाई, मगलीबाई व श्रीमती राजूबाई पुत्री लखमा मीणा ही जायन्दा सन्ताने पुत्रियां विधिक ब्लड रिलेटीव वारीसान रही है। अतः भूमियों में विरासत से इन्तकाल संख्या 504 द्वारा 1/6-1/6 हक हिस्सा विधिवत कायम किया गया है।

प्रकरण में दिगर खातेदार के नाम दर्ज रकबा 0.97 हैक्टर भूमियों के स्वतंत्र रूप से दिगर खातेदारी में दर्ज रहते उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमियां रेस्पोडेन्टेगण के नाम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार स्वरूप दर्ज की गई है। किसी भी अधिनियम या नियम के तहत पुत्री का उत्तराधिकार वर्जित नहीं हैं। अतः नामान्तरकरण खारिज करने का कोई आधार मौजूद नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारीज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को लिखाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2019.11.29 15:45:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: